Senior level officers from various Departments are attached/ deputed to the single window body of the state – Udyog Bandhu.

The letters attachment/ deputation letters of some of the officers are provided below.

#### 08 05/17 13:38 20522 2720792

PICUP.LUCKNOW.

#### दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यू०पी० लिमिटेड, लखनऊ।

पत्रांकः संके0/4/917/86/माग-5/676 विनाक : मई 16 , 2008

#### कार्यालय आदेश

निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों को तात्कालिक प्रभाव से उद्योग घर्न्यु से सम्बद्ध किया जाता है--

श्री कुल भूषण कपूर, उप प्रबन्धक (लेखा)

श्री आए० सी० मटट, उप प्रबन्धक (वित्त)

श्रीमती कुसम लता पाल, संडायक प्रबन्धक (वित्त)

उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर निम्न अधिकारी तैनात किये जाते है।

क0 अधिकारी का नाम सं0	प्रतिस्थानी अधिकारी का नाम
1 श्री कुल मूर्षण कपूर उप प्रबन्धक (लेखा)	औ बीठडीठ सिंह, उप प्रबन्धक (वित्त) (औ सिंह अपने पूर्ववर्ती दायित्वों को यथावत्त सम्पदित करेंगे)
2 - श्री आरएसी० भटट, उप प्रबन्धक (वित्त)	श्री एस0पी0मागेव, उप: प्रबन्धक (वित्त)
3 अीमती कुसम लता पाल, सहायक प्रबन्धक (वित्त)	श्री सहज राम, उप प्रबन्धक (लेखा)
4   श्री एस० पी० मार्गव, उप प्रबन्धक (वित्त)	श्री अशोक कुमार अग्रवाल, उप प्रबन्धक (लेखी)
5. श्री अशोक अग्रवाल, उप प्रबन्धक (लेखा)	श्री एंठवंश रावत, उप प्रबन्धक (वित्त)

3. उपरांक्त अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से कार्यमुक्त किये जाते हैं एवं वह अपनी नई तैताती के स्थान पर तत्काल कार्यमार ग्रहण करेंगे। अमिलेखों आदि का हस्तान्तरण, यदि कोई हो, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नये ख्यान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किया जायेगा।

4. 4. श्री डीovसo अरोरा, प्रबन्धक (तकनीकी), जो वर्तमान में उघोग बन्धु से सम्बद्ध है का तात्कालिक प्रमाव सं निगम मुख्यालय में तैनात किया जाता हैं।

उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

RE 6 ( ज्यचा मार्गच )

1

यरिं0 प्रबन्धक (मा.स.चि.)

#### प्रतिलिपि:-

4 1

. 6.

2.

3

2

1. सम्बन्धित अधिकारी।

अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु। 2. 3.

सामान्य प्रबन्धक (वित्त) / उप सामान्य प्रबन्धक (तक.)- श्री प्रभात गुप्ता / श्री राजीव सोनकर / उप सामान्य प्रबन्धक (वित्त)- श्री एस.के. अवस्थी, / श्री दिनेश कुमार/ उप

विधि परामर्शी।

विह्य परामरा। प्रबन्धक (पी0/ई0)/प्रचन्धक (मा.स.बि.)/प्रबन्धक (लेखा)/ प्रकन्टन । निर्वेश्वक के निजी दक्तिय वैश्ववित्तक पत्रावली। 5.

गार्ड फाइल।

2001

ons und (r)

दिनांक 🔓 अगस्त, 2013

उ.ब./ २८ /अधिष्ठान/281/2013-14/

श्री बृजपाल सिंह अपर.आयुक्त, वाणिज्यकर, (सेवा निवृत्त) निवासी जी-2 सीलवर ओक अपार्टमेन्ट, रविन्दर गार्डन, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ।

महोदय,

2.

कृपया अपने आवेदन-पत्र दिनांक 3.7.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसपर समुचित विचारोपरान्त आपको उद्योग बन्धु में परामर्शी (वाणिज्यकर) के रूप में संविदीय आधार पर पूर्णतः अस्थायी पद पर, प्रथमतः दो माह हेतु दिनांक (16.8.2013 से 15.10.2013 तक) नियुक्त किया जाता है।

- . आपकी उपरोक्त सेवाअवधि में आपसे निम्नलिखित कार्यों/दायित्वों क़ा निर्वहन अपेक्षित होगा :-
  - व्यापार-कर सम्बन्धी वर्किंग ग्रुप की बैठकों का आयोजन।
  - उद्योगों की व्यापार-कर/संस्थागत वित्त विभाग/मण्डी परिषद से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन।
  - सचिव समिति (बी.आई.एफ.आर.) से सम्बन्धित कार्य।
  - उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित होगा कि उद्योगों से सम्बन्धित Procedural/policy से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु ऐसे प्रस्ताव/सुझाव संयुक्त अधिशासी निर्देशक के माध्यम से अधिशासी निदेशक को उपलब्ध करायेंगे जिससे शासन को राजस्व हानि भी न हो और औद्योगिक विकास त्यरित गति से हो सके।
  - संयुक्त अधिशासी निदेशक/अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्य।
- वर्णित सेवा अवधि के दौरान आपकी सेवा शर्तें निम्नवत् रहेंगी :-
  - आपको प्रतिमाह रू.9000/- (रूपये नो हज़ार) मात्र पारिश्रमिक के रूप में देय होगा, इसके अलावा अन्य कोई भत्ते देय नहीं होगें। इसमें टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
  - आपको उद्योग बन्धु कार्यालय में कार्यालय दिवसों में कार्यालय समय के अनुसार उपस्थित रहना होगा।
  - उद्योग बन्धु से सम्बंधित कार्यवश जब कभी आपकी आवश्यकता होगी तो उस स्थिति में आप कार्यालय में कार्यालय समय के उपरान्त अथवा अवकाश के दिन भी उपस्थित रहना होगा।
  - आपकी सेवायें पूर्णतया अस्थायी होंगी और उद्योग बन्धु प्रबन्धन को पूरा अधिकार होगा कि इस अवधि को बिना किसी पूर्व सूचना के घटा दें अथवा समाप्त कर दें। किन्तु यदि भविष्य में किसी कारणवश आप इस पदभार से मुक्त होना चाहेंगे तो इस निमित 30 दिन की लिखित में पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी।

(आई.एस.ओ. प्रमाणित औद्योगिक प्रगति हेतु एक अभिकरण)

-सहयोगी, और मित्र भी !

12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ-226 001 (उ.प्र.) दूरभाष :2237582 व 2237583 फैक्स : (0522) 2237345 व 2235115 ईमेल : info@udyogbandhu.com, ubup@rediffmail.com व bandhu.up@nic.in वेबसाइट : http://udyogbandhu.com

- यदि शासकीय अथवा उद्योग बन्धु के कार्यवश आपके द्वारा कोई यात्रा की जाती है तो उस स्थिति में अधिशासी निदेशक महोदय के अनुमोदन से की गई यात्राओं हेतु आपको शासन में प्रथम श्रेणी अधिकारी हेतु अनुमन्य भत्ते देय होंगे।
- इस अवधि में आपकी संतोषजनक सेवा के आधार पर आपकी सेवा अवधि में विस्तार किये जाने . पर विचार किया जा सकता है।

(कौशल राज शर्मा) संयुक्त अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुतः-

वरिष्ठ प्रबन्धक, वित्त, उद्योग बन्धु। स्टॉफ आफिसर, अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

वैयक्तिक सहायक, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु। वैयक्तिगत पत्रावली।

गार्ड फाईल।

4. 5.

आज्ञा से, an (आर.सी. भट्ट) उप प्रबन्धक (वित्त)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स » upside विकास निगम लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं0- 1050 JEDIVA (भेरेज किमेरि गुप्ता) 167 राज्या / 00 -सयुक्त अधिशासी / एस्आईडीसी / 2 सन्दर्भ संख्या 160 -Garia 03-67-2015 उहतेग बन्धु

ए-1/4, लखनपुर, कानपुर कानपुर : 208024 दूरभाष : 0512—2582851—53 (PBX) फैक्स नं0 : (0512) 2580797 वेबसाइट : www.upsidc.com

कार्यालय आदेश



श्रीमती मोनिका कुमार उप प्रबन्धक (सा0) को उद्योग बन्धु लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने सम्बन्धित मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 1465-70 / एसआईडीसी / स्था0विविध-272 दिनांक 25.06.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये श्री रामेन्द्र कुशवाहा, उप प्रबन्धक(सा0) को उद्योग बन्धु कार्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है एवं सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपनी योगदान आख्या नवीन तैनाती स्थल पर प्रस्तुत करना सुनिष्चित करे।

सन्दर्भ संख्या

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषितः-

अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्ध्, 12 सी०, माल एवेन्यू, लखनऊ।

वित्त नियंत्रक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर। 2

महाप्रबन्धक(विधि), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

प्रशासनिक अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०निं०लि०, मुख्यालय, कानपुर। 4

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, लखनऊ। 5.

विधि प्रकोष्ठ, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, लखनऊ। 6. 7.

सम्बन्धित अधिकारी / गार्ड फाईल।

/ एसआईडीसी / प्र0नि0कै0

1

3.

प्रबन्ध निदेशक

**U. P. FINANCIAL CORPORATION** 14/88, CIVIL LINES KANP [ADMINISTRATION DEPARTMENT] 960/FC/II/ADMIN./15-16 REF.NO. 15.10.2015 DATE:

### ORDER

As per orders of the Managing Director, Shri Vivekanand, Assistant Manager (Technical) presently posted at Regional Office, UPFC, Lucknow is hereby directed to look after the work of Udyog Bandhu, Lucknow exclusively in place of Shri R.B. Verma, Senior Manager (Finance) till further orders.

Regional Manager, UPFC, Lucknow is advised to direct Shri Vivekanand, AMT to take over his new assignment atonce.

This order shall come in force with immediate effect.

(SUNEEL BAJPAI) CHIEF MANAGER (ADMIN.)

HEDIN

#### Copy to:

1. Shri Vivekanand, AMT, Regional Office, UPFC, Lucknow.

2. Executive Director, Udyog Bandhu, 12-C, Mall Avenue, Lucknow.

3. Regional Manager, UPFC, RO Lucknow.

Incharge Zone-II, UPFC, HO, Kanpur.

5. Incharge, RMA Department, UPFC, HO, Kanpur.

6. Camp of MD, UPFC, HO, Kanpur.

7. Spare copy for personal file.

(UMRAN HABIB) SENIOR MANAGER (ADMIN.) FROM : UPFCHOKNPRPUR SYSTEM

Spe P. crokak

PHONE NO. : 05122533743

AEDINS 23.10.15

## U.P. FINANCIAL CORPORATION 14/88, CIVIL LINES, KANPUR. [Administration Department]

(करान वर्मिहि. No. 1094 Fec.II. Admin./2015-16 Dated: 20.10.2015

## ORDER

संयुक्त अधिशासी निदेशव In compliance of office order No.960 dated 15.10.2015, Sri Vivekanand, Assistant Manager (Technical) is hereby stands relieved from Regional Office Lucknow and he is directed to report to Joint Executive Director, Udyog Bandhu, Lucknow today i.e. on 20.10.2015.

D-1765

Jamos SUNEEL BAJPA 10 CHIEF MANAGER (ADMIN.)

SUNEEL BAJPA

CHIEF MANAGER (ADMIN.)

Copy to

2.

Shri Vivekanand, AMT, Regional Office. UPFC, Lucknow.

Joint Executive Director, Udyog Bandhu, 12-C; Mall Avenue, Lucknow.

Regional Manager, UPFC, RO Lucknow. 3. 4.

Incharge Zone-II, UPFC, HO, Kanpur.

Incharge, RMA Department, UPFC, HO, Kanpur.

Spare copy for personal file.

## :- कार्यालय आदेश -:

# उ.ब.1 295 /02/2015-16/प्रशासन/ दिनांक ©8 जुलाई, 2015

उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर के कार्यालय आदेश संख्या-160-162/ एसआईडीसी/प्र.नि.कै. लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा श्री रामेन्द्र कुशवाहा, उप प्रबन्धक (सा.) को उद्योग बन्धु में सम्बद्ध किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में श्री रामेन्द्र कुशवाहा द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पूर्वान्ह् में उद्योग बन्धु में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। तत्कम में श्री रामेन्द्र कुशवाहा को उद्योग बन्धु में निम्नलिखित कार्य आवंटित किये जाते है :-

क्रमांक	अधिकारी नाम/पद	वर्तमान पद	आवंटित कार्य	सम्बद्ध कर्मचारी
1	श्री रामेन्द्र कुशवाहा,	निदेशक	<ul> <li>उ.प्र.राज्य औद्योगिक विकास</li> </ul>	श्री सुनील
	उप प्रबन्धक (सा.)	(इण्डस्ट्रियल	. निगम/ अन्य प्राधिकरण/	कुमार, टंकक
		फैसिलिटेशन एण्ड	विद्युत विभाग से सम्बंधित	
		ग्रिवान्स रिड्रेशल)	समस्याओं हेतु पत्राचार एवं	
			समन्वय स्थापित करना।	
			• राज्य स्तरीय औद्योगिक	
			संगठनों से सम्बंधित कार्य।	
			<ul> <li>भारत सरकार से सम्बंधित</li> </ul>	
			लम्बित प्रकरण के अनुश्रवण	
			का कार्य ।	

उपरोक्त के अतिरिक्त संयुक्त अधिशासी निदेशक/ अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा समय-समय भर दिये गये कार्यों का भी सम्पादन इनके द्वारा किया जायेगा।

श्री राजीव दीक्षित, निदेशक को पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या-3358 दिनांक 01.10.2013 द्वारा आवंटित कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागों से सम्बंधित समस्याओं के सम्बंध में पत्रात्वार एव समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे। प्रकोष्ठ में कार्यरत् सभी अधिकारी एक दूसरे के लिंक-अधिकारी होंगे।

> ्(कंचन वर्मा) संयुक्त अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु।